

राज्य स्तरीय
विनिर्माता/आयातक/पुलहैंडलिंग एजेंसी/थोक उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार
पत्र का संशोधन
(जाँच -पत्र)

1. संशोधन हेतु आवेदन-पत्र।
 2. आवेदक के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
 3. आवेदक के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
 4. जी0 एस0 टी0 प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 5. संशोधन शुल्क-रु0 150/-का कोषागार चालान की मूल प्रति।
 6. मूल प्राधिकार पत्र।
 7. संशोधन का प्रकार :-
 - (i) कार्यालय/विक्री केन्द्र का परिवर्तन :- (क) कार्यालय/विक्री केन्द्र का पूरा पता।
(ख) लीज/एकरारनाम की अभिप्रमाणित प्रति(1000रु0 के स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(ग) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन(कार्यालय हेतु)।
 - (ii) गोदाम प्रविष्टि हेतु:- (क) गोदाम का पुरा पता (ख) लीज एग्रीमेन्ट(1000रु0 के स्टाम्प पेपर पर) /स्वयं की भूमि है तो प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(ग) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन(कार्यालय हेतु)।
 - (iii) (क) अन्य निर्माता/थोक विक्रेता एवं आयातक के उर्वरकों की प्रविष्टि -
 - (i) स्रोत-प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 - (ii) सरकार द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्था के प्रयोगशाला का फार्म-J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।
(ख) यदि आयातक है तो
 - (i) आयातक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ii) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (iii) आयातित उर्वरक का सरकारी संस्था के प्रयोगशाला का विश्लेषण प्रतिवेदन-
 - (iv) नाम परिवर्तन :- कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिलिपि।
8. सभी छाया प्रति कागजात का स्व-अभिप्रमाणितप्रति।